न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 90 /2013, 78/2013, 94/2013, 62/2013, 81/2013, 61/2013 एवं 60/2013 जिला अलवर ।

अपील संख्या 90 /2013 जिला–अलवर

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री शील देव जाति अहीर, निवासी जे–168, न्यू पालम विहार, गुड़गावां (हरियाणा)

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सोमोती पुत्री श्री उमराव सिंह, जाति अहीर ।
2. श्रीमती अनोखी पुत्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.) ।

— असल रेस्पोडेन्ट

3. ग्राम पंचायत उजोली, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत उजोली, पंचायत समिति कोटकासिम, जिला अलवर ।
4. उमराव सिंह पुत्र श्री नत्थू, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (मृतक) ।
5. मामचन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।
6. रमेश चन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

— तरतीबी प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर वाद संख्या 16/2008 उनवानी सोमोती बनाम ग्राम पंचायत उजौली दिनांक 13.5.2010 बाबत नामांतरकरण संख्या 659 ग्राम लालपुर दिनांक 23.6.2008

अपील संख्या 78/2013 जिला–अलवर

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री शील देव जाति अहीर, निवासी जे–168, न्यू पालम विहार, गुड़गावां (हरियाणा)

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सोमोती पुत्री श्री उमराव सिंह, जाति अहीर ।
2. श्रीमती अनोखी पुत्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.) ।

— असल रेस्पोडेन्ट

3. ग्राम पंचायत उजोली, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत उजोली, पंचायत समिति कोटकासिम, जिला अलवर ।

4. उमराव सिंह पुत्र श्री नत्थू, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (मृतक) ।
5. मामचन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।
6. रमेश चन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।

— तरतीबी प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर वाद संख्या 15/2008 उनवानी सोमोती बनाम ग्राम पंचायत उजौली दिनांक 13.5.2010 बाबत नामांतरकरण संख्या 660 ग्राम लालपुर दिनांक 23.6.2008

अपील संख्या 94/2013 जिला–अलवर

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री शील देव जाति अहीर, निवासी जे–168, न्यू पालम विहार, गुड़गांवां (हरियाणा)

— अपीलान्ट

बनाम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1. श्रीमती सोमोती पुत्री श्री उमराव सिंह, जाति अहीर ।
2. श्रीमती अनोखी पुत्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.) ।

— असल रेस्पोडेन्ट

3. ग्राम पंचायत उजोली, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत उजोली, पंचायत समिति कोटकासिम, जिला अलवर ।
4. उमराव सिंह पुत्र श्री नत्थू, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (मृतक) ।
5. मामचन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।
6. रमेश चन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।

— तरतीबी प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर वाद संख्या 17/2008 उनवानी सोमोती बनाम ग्राम पंचायत उजौली दिनांक 13.5.2010 बाबत नामांतरकरण संख्या 661 ग्राम लालपुर दिनांक 23.6.2008

अपील संख्या 62/2013 जिला–अलवर

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री शील देव जाति अहीर, निवासी जे–168, न्यू पालम विहार, गुड़गावां (हरियाणा)

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सोमोती पुत्री श्री उमराव सिंह, जाति अहीर ।
2. श्रीमती अनोखी पुत्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.) ।

— असल रेस्पोडेन्ट

3. ग्राम पंचायत उजोली, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत उजोली, पंचायत समिति कोटकासिम, जिला अलवर ।
4. उमराव सिंह पुत्र श्री नत्थू, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (मृतक) ।
5. मामचन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।
6. रमेश चन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।

— तरतीबी प्रतिवादी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर वाद संख्या 18/2008 उनवानी सोमोती बनाम ग्राम पंचायत उजौली दिनांक 13.5.2010 बाबत नामांतरकरण संख्या 662 ग्राम लालपुर दिनांक 23.6.2008

अपील संख्या 81/2013 जिला–अलवर

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री शील देव जाति अहीर, निवासी जे–168, न्यू पालम विहार, गुड़गावां (हरियाणा)

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सोमोती पुत्री श्री उमराव सिंह, जाति अहीर ।
2. श्रीमती अनोखी पुत्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.) ।

— असल रेस्पोडेन्ट

3. ग्राम पंचायत उजोली, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत उजोली, पंचायत समिति कोटकासिम, जिला अलवर ।
4. उमराव सिंह पुत्र श्री नत्थू, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (मृतक) ।
5. मामचन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।
6. रमेश चन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।

— तरतीबी प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर वाद संख्या 19/2008 उनवानी सोमोती बनाम ग्राम पंचायत उजौली दिनांक 13.5.2010 बाबत नामांतरकरण संख्या 663 ग्राम लालपुर दिनांक 23.6.2008

अपील संख्या 61/2013 जिला—अलवर

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री शील देव जाति अहीर, निवासी जे—168, न्यू पालम विहार, गुड़गावां (हरियाणा)

— अपीलान्ट

बनाम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

1. श्रीमती सोमोती पुत्री श्री उमराव सिंह, जाति अहीर ।
2. श्रीमती अनोखी पुत्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.) ।

— असल रेस्पोडेन्ट

3. ग्राम पंचायत उजोली, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत उजोली, पंचायत समिति कोटकासिम, जिला अलवर ।
4. उमराव सिंह पुत्र श्री नत्थू, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (मृतक) ।
5. मामचन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।
6. रमेश चन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।

— तरतीबी प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर वाद संख्या 14/2008 उनवानी सोमोती बनाम ग्राम पंचायत उजौली दिनांक 13.5.2010 बाबत नामांतरकरण संख्या 664 ग्राम लालपुर दिनांक 23.6.2008

अपील संख्या 60/2013 **जिला–अलवर**

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री महावीर, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.)
2. सविता देवी पत्नि कप्तान सिंह, जाति जाट, निवासी रानीया वास ।
3. कला देवी पत्नि सुन्दरसिंह, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कासिमपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.)

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सोमोती पुत्री श्री उमराव सिंह, जाति अहीर ।
2. श्रीमती अनोखी पुत्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राज.) ।

— असल रेस्पोडेन्ट

3. ग्राम पंचायत उजोली, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत उजोली, पंचायत समिति कोटकासिम, जिला अलवर ।
4. उमराव सिंह पुत्र श्री नत्थू, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (मृतक) ।
5. मामचन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।
6. रमेश चन्द पुत्र श्री उमराव सिंह, जाति अहीर, निवासी लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर ।

— तरतीबी प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर वाद संख्या 13/2008 उनवानी सोमोती बनाम ग्राम पंचायत उजौली दिनांक 13.5.2010 बाबत नामांतरकरण संख्या 665 ग्राम लालपुर दिनांक 23.6.2008

उपस्थित :–

1. श्री विशम्भर दयाल गुप्ता, वकील अपीलार्थी
2. " जनार्दन शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट ।

निर्णय

दिनांक –5.12.2019

यह सातों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के पृथक पृथक निर्णय दिनांक 13.5.2010 के खिलाफ पृथक पृथक प्रस्तुत हुई है । सातों अपीलों के तथ्य , विषयवस्तु , पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण

इन सातों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति सातों पत्रावलियों में रखी जावे । सातों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

यह कि ग्रम लालपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 4.15 एवं खसरा नम्बर 289 रकबा 1.11 कुल किता 2 कुल रकबा 6.06 के खातेदार उमराव पुत्र नत्थु द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7 .6.2008 द्वारा निर्मला देवी पत्नी शील देव को विक्रय किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 659 ग्रम पंचायत उजौली द्वारा दिनांक 23.6.2008 को क्रेता निर्मला के नाम तस्दीक किया गया । आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 4.15 के 1/2 हिस्से एवं 209 रकबा 0.04, 225 रकबा 0.12, 448 रकबा 0.10 कुल किता 3 रकबा 1.06 के खातेदार उमराव पुत्र नत्थु द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.6.2008 द्वारा निर्मला देवी पत्नी शील देव को विक्रय किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 660 ग्रम पंचायत उजौली द्वारा दिनांक 23.6.2008 को क्रेता निर्मला के नाम तस्दीक किया गया । आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 3.07, 848/154 रकबा 1.09 हिस्सा 1/2 के खातेदार उमराव पुत्र नत्थु द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7 .6.2008 द्वारा निर्मला देवी पत्नी शील देव को विक्रय किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 661 ग्रम पंचायत उजौली द्वारा दिनांक 23.6.2008 को क्रेता निर्मला के नाम तस्दीक किया गया । आराजी खसरा नम्बर 667 रकबा 4.01 के खातेदार उमराव पुत्र नत्थु द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.6.2008 द्वारा निर्मला देवी पत्नी शील देव को विक्रय किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 662 ग्रम पंचायत उजौली द्वारा दिनांक 23.6.2008 को क्रेता निर्मला के नाम तस्दीक किया गया । आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 1.17 एवं 444 रकबा 2.06 कुल किता 2 कुल रकबा 4.03 के खातेदार उमराव पुत्र नत्थु द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7 .6.2008 द्वारा निर्मला देवी पत्नी शील देव को विक्रय किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 663 ग्रम पंचायत उजौली द्वारा दिनांक 23.6.2008 को क्रेता निर्मला के नाम तस्दीक किया गया । आराजी खसरा नम्बर 449 रकबा 0.09, 450 रकबा 2.02, 510 रकबा 0.07, 596 रकबा 0.18 कुल किता 4 कुल रकबा 3.16 के खातेदार उमराव पुत्र नत्थु द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.6.2008 द्वारा निर्मला देवी पत्नी शील देव को विक्रय किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 664 ग्रम पंचायत उजौली द्वारा दिनांक 23.6.2008 को क्रेता निर्मला के नाम तस्दीक किया गया । आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 0.18 खातेदार उमराव पुत्र नत्थु द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.6.2008 द्वारा सुशीला देवी पत्नी महावीर अहीर को विक्रय किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 665 ग्रम पंचायत उजौली द्वारा दिनांक 23.6.2008 को क्रेता निर्मला के नाम तस्दीक किया गया ।

उक्त नामांतरकरणों से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट द्वारा पृथक पृथक सात अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर को प्रस्तुत की जो

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के पृथक पृथक निर्णय दिनांक 13.5.2010 द्वारा स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत उजौली द्वारा तस्दीक नामांतरकरण निरस्त किये गये तथा नामांतरकरण की कार्यवाही विचाराधीन वाद के निर्णय होने तक स्थगित की गई ।

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के निर्णय दिनांक 13.5.2010 से व्यथित होकर विवादित भूमि की केता सुशीला देवी व निर्मला देवी द्वारा यह सात अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर दिनांक 13.5.2010 निरस्त किये जाकर प्रश्नगत नामांतरकरणों को यथावत बदस्तूर कायम रखे जाने की प्रार्थना की ।

सातों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि रेकार्डेड खातेदार उमराव से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की है तथा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर ग्रम पंचायत उजौली द्वारा विवादित भूमि के विधिवत केताओं के नाम प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये हैं । उनका कहना था कि अपीलान्ट विवादित भूमि की विधिवत केता है और उनका नाम रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो चुका है । रजिस्टर्ड विकय पत्र जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता तब तक उसके आधार पर तस्दीक नामांतरकरण विधिक रूप से निरस्त किये जा सकते । उनका कहना था कि वाद दिनांक 12.6.2008 को दायर किया था जबकि विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 7.6.2008 को हो चुका था । दावे में पारित स्थगन आदेश को अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्थगित कर दिया गया था और इसके पश्चात् ही ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये हैं जिनमें कोई अनियमितता नहीं है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट ने विवादित भूमि के पैतृक होने के संबंध मे कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है । ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेन्ट के यदि विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार बनते हैं तो वे वाद में ही तय होगें । अपीलान्ट के विवादित भूमि रेकार्डेड खातेदार को प्रतिफल देकर कय की है तथा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा केता के नाम तस्दीक किये हैं जिनमें कोई अनियमितता नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रकरण में वाद के विचाराधीन रहते नामांतरकरण निरस्त करते हुये नामांतरकरण की कार्यवाही विचाराधीन वाद के निर्णय होने तक स्थगित की गई है, जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखे जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1407, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 619, आर.आर.डी.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1994 पेज 22, आर.आर.डी. 2002 पेज 282, आर.आर.डी. 2003 पेज 276, आर.आर.डी. 2010 पेज 224, लॉ प्रेयर टू हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956, आर.आर.डी. 1961 पेज 57, आर.एल.डब्ल्यू. 2016 (4) पेज 2812 (सुप्रिम कोर्ट) की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 सोमोती, अनोखी पुत्रियान उमराव सिंह व रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 उमराव सिंह, रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 मामचन्द एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 रमेश चन्द की पैतृक सम्पत्ति है । विवादित आराजी बाबत एक वाद बाबत इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज व तकासमा आराजी व हुक्मईमतनाई दवामी अर्न्तगत धारा 88,89,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सोमोती बनाम उमराव न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम में दायर किया हुआ है । वाद में यथास्थिति का आदेश होने व वाद के विचाराधीन रहते हुये अपीलान्ट द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स से मिली भगत कर दिनांक 23.6.2008 को नामांतरकरण तस्दीक कराये हैं जबकि ग्र्रम पंचायत को भी वाद के विचाराधीन होने की जानकारी थी । ग्र्रम पंचायत को रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन ग्र्रम पंचायत ने रेस्पोंडेन्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना व बिना नोटिस दिये प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक कर दिये जो विधिसम्यक नहीं है । उनका कहना था कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में, रेस्पोंडेन्ट का विवादित भूमि में हक व हिस्सा बनता है जो विचाराधीन वाद में ही तय होगा । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण की कार्यवाही वाद के विचाराधीन रहते हुये हैं जो अवैध व शुन्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रकरण के तथ्यों व कानून को दृष्टिगत रखते हुये रेस्पोंडेन्ट की अपीलें स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये हैं तथा वाद के निर्णय तक नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे । अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2016 पेज 1099, आर.आर.टी. 2011 पेज 1063, आर.आर.डी. 2012 पेज 765, आर.बी.जे. 2011 पेज 123, आर.बी.जे. 2017 पेज 577 एवं आर.आर.टी. 2009 पेज 1225 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के खातेदार उमराव द्वारा भूमि अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय करने पर वाद के विचाराधीन रहते अपीलान्ट के नाम नामांतरकरण तस्दीक होने के संबंध में है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ग्र्रम पंचायत द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ विवादित भूमि के खातेदार उमराव सिंह की पुत्रियॅा सोमोती व अनोखी द्वारा उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष की गई अपीलें अपीलधीन निर्णय दिनांक 13.5.2010 द्वारा स्वीकार की

जाकर नामांतरकरण निरस्त किये गये एवं नामांतरकरण की कार्यवाही विचाराधीन वाद के निर्णय होने तक स्थगित रखीं गई है । हम समझते हैं कि विवादित भूमि के प्रश्नगत नामांतरकरण वाद के विचाराधीन रहते तस्दीक किये गये हैं । चूंकि नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । पक्षकारों के हक हकूकों का निर्धारण विचाराधीन वाद में ही साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर ही होगा । विधिक रूप से विवादित भूमि में पक्षकारो के अधिकारों के संबंध में विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय तक नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को स्थगित रखी जाना चाहिये ताकि पक्षकारों में अनावश्यक मुकमेबाजी न बढे । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं एवं सातों अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः सातों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं सातों अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 13.5.2010 यथावत रखे जाते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 5.12.2019 को सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर